न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर संभाग, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील :– 680 / 2025

अपीलाण्ट :– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

1. रघुराजसिंह गोद पुत्र स्व. मोतीसिंह जाति राजपुत, निवासी ऐलानी, तहसील रानी, जिला पाली

बनाम

1. संतोष कंवर पत्नी भगवतसिंह जी, जाति राजपुत, निवासी ऐलानी, तहसील रानी, जिला पाली
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी जिला पाली।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानी जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय अति जिला कलेक्टर, पाली के प्रकरण संख्या 37 / 2017 दिनांक 25.02.2019

उपस्थिति :–

1. श्री सुगनमल परिहार, श्री सिद्धार्थ परिहार, विद्वान अधिवक्तागण, अपीलाण्ट
2. श्री अनिश अहमद, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1
3. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 व 3

:: **निर्णय** ::

दिनांकः 30–07–2025

1. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गांव ऐलानी हाल तहसील रानी के खाता संख्या 79, 80, 78 व 95 में दर्ज कृषि भूमि के खातेदार स्व. मोतीसिंह पुत्र तेजसिंह थे जो भूमि उनकी पैतृक पुश्तैनी भूमि थी। तेजसिंह के फौत होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा तहसीलदार बाली के समक्ष उक्त भूमि का नामान्तरकरण स्वयं के नाम से वसीयत के आधार पर स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। जिस पर पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 36 व 37 भरकर पेश किया। उक्त नामान्तरकरण पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक द्वारा टिप्पणी की गई कि उक्त भूमि स्व. तेजसिंह की पैतृक भूमि है, इस कारण वसीयत नहीं हो सकती है। इसी आधार पर तहसीलदार ने दिनांक 04.06.1999 को उक्त दोनो नामान्तरकरण अस्वीकृत कर दिये एवं मृतक खातेदार तेजसिंह की धर्म पत्नी एवं पुत्री के नाम नामान्तरकरण संख्या 62 दिनांक 08.01.2002 तथा नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 23.12.2004 को स्वीकार कर दिया। तेजसिंह की पुत्री भंवरकंवर द्वारा अपना हकतर्क अपनी माता मोहनकंवर के पक्ष में कर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दिया। मोहनकंवर द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध गोदनामा के आधार पर उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट के नाम दर्ज कर दी गई।

2. रेस्पोडेन्ट संख्या एक श्रीमती संतोष कंवर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 36, 37, 62 व 70 के विरूद्ध चार अलग अलग अपीले वर्ष 2017 में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमें अपीलाण्ट द्वारा प्राथमिक आपत्तिया एवं मियाद सम्बन्धी उज्र पेश किये गये। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली द्वारा उक्त अलग अलग नामान्तरकरणों के विरूद्ध प्रस्तुत हुई प्रथम अपीलों में निर्णय दिनांक 25.02.2019 को उक्त समस्त अपीलो में एक समान निर्णित पारित करते हुये करते हुए प्रकरण तहसीलदार रानी को प्रेषित कर दिये कि पक्षकारान् को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वसीयतनामा के आधार पर जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

3. अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली द्वारा प्रथम अपील का निर्णय दिनांक 25.02.2019 को पारित किया गया। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2019 से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

5. बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिनांक 25.02.2019 पारित किया गया है, वह विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

7. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा जो अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली के समक्ष पेश की गई थी, वह अपील मियाद बाहर थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, उसमें काल्पनिक एवं कृत्रिम आधारो पर विलम्ब को क्षमा किये जाने की मांग की गई थी, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं थी। रेस्पोडेन्ट स्वच्छ हाथो के साथ न्यायालय में नहीं आये इस कारण अपील के विलम्ब को किसी भी सूरत में क्षमा नहीं किया जा सकता था। प्रथम अपील न्यायालय ने अपील में मियाद के बिन्दू को निर्णित करने में धारा 5 मियाद अधिनियम की गलत व्याख्या की है। नामान्तरकरण संख्या 36 व 37 स्वयं रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर खोले गये थे जो बाद जांच वर्षों पूर्व अस्वीकार किये गये थे। इस कारण यह नहीं माना जा सकता कि रेस्पोडेन्ट को इसकी जानकारी न हो। अधिनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय की, जिस नजीर को आधार मानकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया है, वह नजीर इस मामले में कतई लागू नहीं होती है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट हो चुका था कि जिस भूमि बाबत

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

वसीयतनामा लिखना बताया गया था, वह भूमि पैतृक पुश्तैनी भूमि थी। इन परिस्थितियों में ऐसे वसीयतनामें के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण को अवैध अथवा शून्य नहीं माना जा सकता था।

8. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि वसीयतनामें के आधार पर प्रथम अपील न्यायालय ने अपील का जो फैसला किया है, उस वसीयतनामे की वैधता दीवानी न्यायालय में चुनौती ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार के समक्ष वसीयतनामें की जांच हेतु मामला रिमाण्ड किये जाने का कोई औचित्य नहीं है एवं न तहसीलदार द्वारा वसीयतनामें के बारे में कोई जांच ही की जा सकती है क्योकि वे ऐसा करने हेतु सक्षम ही नहीं है। इस प्रकार अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली ने अनावश्यक रूप से अपीलाधीन आदेश के जरिये पक्षकारान को मुकदमेंबाजी में धकेला है।

9. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि गांव ऐलानी हाल तहसील रानी के खाता संख्या 79, 80, 78 व 95 में दर्ज कृषि भूमि के खातेदार स्व. मोतीसिंह पुत्र तेजसिंह थे, उक्त भूमि उनकी पैतृक पुश्तैनी भूमि थी। तेजसिंह के फौत होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा तहसीलदार बाली के समक्ष उक्त भूमि का नामान्तरकरण स्वयं के नाम से वसीयत के आधार पर स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया गया था जिस पर पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 36 व 37 भरकर पेश किया। उक्त नामान्तरकरण पर राजस्व निरीक्षक द्वारा यह टिप्पणी गई कि उक्त भूमि स्व. तेजसिंह की पैतृक भूमि है इस कारण वसीयत नहीं हो सकती है। इसी आधार पर तहसीलदार ने दिनांक 04.06.1999 को उक्त दोनो नामान्तरकरण अस्वीकृत कर दिये एवं मृतक खातेदार तेजसिंह की धर्म पत्नी एवं पुत्री के नाम नामान्तरकरण संख्या 62 दिनांक 08.01.2002 तथा नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 23.12.2004 को स्वीकार कर दिया। तेजसिंह की पुत्री भंवरकंवर द्वारा अपना हकतर्क अपनी माता मोहनकंवर के पक्ष में कर दिया। मोहनकंवर द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध गोदनामा के आधार पर उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट के नाम दर्ज कर दी गई। खातेदार मोतीसिंह के फौत होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम भरा गया म्यूटेशन खारिज करने के पश्चात मृतक की पुत्री एवं पत्नी के नाम से नामान्तरकरण संख्या 62 व 70 स्वीकार किये गये, जिस कार्यवाही को किसी भी सूरत में गलत नहीं माना जा सकता एवं एक वसीयत धारक द्वारा जिस दस्तावेज वसीयत के आधार पर उक्त नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है, उसकी अपील में उन नामान्तरकरणों को कतई निरस्त नहीं किया जा सकता है क्योकि वसीयतनामें का दस्तावेज किसी न्यायालय के समक्ष साबित नहीं करवाया गया। वसीयत को अवैध करार देने का अधिकार तहसीलदार को नही बल्कि सिविल न्यायालय को है। वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नही कर सकते है, इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा माननीय न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत आर आर टी 2009(1) पेज नंबर 500 प्रस्तुत किया गया।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

10. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तथाकथित वसीयतनामें के दस्तावेज पर मोहनकंवर एवं भंवरकंवर की साख होने के आधार पर ही उस दस्तावेज को सहीं मान लिया। उल्लेखनीय है कि प्रथम तो उस दस्तावेज पर उनकी साखे है ही नहीं एवं दोयम, दस्तावेज में साख डालने वाला कोई व्यक्ति उस दस्तावेज की इबारत से बाध्य नही है। उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इसमें निहित जटिल बिन्दूओं का निस्तारण केवल सक्षम न्यायालय द्वारा ही नियमित वाद की कार्यवाही में बाद शहादत किया जा सकता है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा माननीय न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत आर आर टी 2014(1) पेज नंबर 196 प्रस्तुत किया गया। नामान्तरकरण की सरसरी कार्यवाही में ऐसे जटिल बिन्दू निर्णित नहीं किये जा सकते है। नामान्तरकरण संख्या 36 व 37 दिनांक 04.06.1999 को खारिज किये गये, उक्त कार्यवाही स्वयं रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर ही प्रारम्भ की गई उक्त आदेश को इतने वर्षों बाद नामान्तरकरण की कार्यवाही में चुनौती नही दी जा सकती थी। इतना ही नहीं गोद के आधार पर अपीलार्थी के नाम से वर्षों पूर्व नामान्तरकरण स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया था। जिस नामान्तकरण को किसी न्यायालय में आज दिन तक चुनौती नहीं दी गई है इस इन्द्राज के बहाल रहते तहसीलदार के समक्ष मामला रिमाण्ड करने का कोई औचित्य नहीं था। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने माननीय न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत आर आर टी 2013(1) पेज नंबर 529 प्रस्तुत किया।

11. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाण्ट आज दिन तक विवादग्रस्त भूमि पर बतौर खातेदार काबिज है जबकी रेस्पोडेन्ट का उस भूमि पर न तो कोई अधिकार है एवं न उसका कोई कब्जा है। विवादग्रस्त भूमि स्वअर्जित भूमि नही थी बल्कि उक्त भूमि पैतृक भूमि थी। इस संबंध में ग्राम ऐलानी की खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2009–2026 के कॉलम संख्या 3 में तेज सिंह वल्द माधूसिंह दर्ज है तथा कॉलम संख्या 4 में खुदकाश्त एवं कॉलम संख्या 5 एवं 6 में जूनी जागीर दर्ज है, जो खतौनी बन्दोबस्त अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि जागीर भूमि होने से पैतृक भूमि है। इस संबंध में प्रकरण को साबित करने के लिये विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर आर डी 1991 पेज संख्या 510, आर आर डी 1992 पेज संख्या 43, आर आर डी 1992 पेज संख्या 218 प्रस्तुत किये गये। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2019 निरस्त करने का आदेश प्रदान करावे।

12. प्रत्युतर में रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि गांव ऐलानी पटवार हल्का इन्दरवाडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पिलोवनी जिसकी पूर्व में तहसील देसूरी थी, वर्तमान तहसील रानी जिला पाली है। पुराने खसरा नम्बर 117,118,113,114,114 मिन, 241 व 241 मिन में मोतीसिंह जी का 1/2 हिस्सा था। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि मोतीसिंह जी की स्वअर्जित भूमि थी किसी भी रूप में पुश्तैनी पैतृक सम्पति नही थी। मोतीसिंह जी, रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 संतोषकंवर के पति

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

भगवतसिंह जी के दादा भोपालसिंह जी के काका लगते थे और इस रिश्ते से मोतीसिंह जी, रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 संतोष कंवर के पति भगवतसिंह जी के रिश्ते में परदादा थे। मोतीसिंह जी के कोई जाइन्दा पुत्र नही था, एकमात्र पुत्री श्रीमति भंवरकंवर थी, जो विवाह होकर अपने ससुराल चली गई थी। मोतीसिंह जी और मोतीसिंह जी की पत्नि मोहनकंवर जी रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 और रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 के पति भगवतसिंह जी के साथ ही रहते थे और उनकी सेवा चाकरी, सेवा सुरक्षा, दवा दारू, रोटी पानी एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओ की पूर्ति रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 संतोषकंवर व उनके पति भगवतसिंह जी ही करते थे। इसी कारण मोतीसिंह जी ने अपने जीवनकाल में अपनी पत्नि मोहनकंवर और अपनी पुत्री भंवरकंवर की जानकारी में होते हुए उनकी उपस्थिति में उपरोक्त खसरा नम्बरान एवं अन्य खसरा नम्बरान की भूमि का एक पंजीकृत वसीयत नामा दिनांक 5.1. 1998 को अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित किया था, जिसमें मोतीसिंह जी की पत्नि मोहनकंवर और मोतीसिंह जी की एक मात्र पुत्री भंवरकंवर ने भी साख डाली थी, उक्त वसीयत नामा मोतीसिंह जी का अंतिम वसीयत नामा था जो उनके स्वर्गवास होने तक किसी भी रूप में निरस्त नही हुआ था अस्तित्व में था और प्रभाव में था। मोतीसिंह जी का दिनांक 26.02.1998 को स्वर्गवास हुआ।

13. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि वादग्रस्त म्युटेशन से संबंधित कृषि भूमि मोतीसिंह जी की स्वअर्जित भूमि थी किसी रूप में पैतृक भूमि नही थी। इस सम्बन्ध में नामान्तरणकरण पंजिका ग्राम ऐलानी तहसील देसुरी जिला पाली म्युटेशन संख्या 6 की प्रमाणित पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत है उससे भी प्रकट है कि वादग्रस्त म्युटेशन से संबंधित भूमि मोतीसिंह जी की पैतृक सम्पति नही थी अपितु उनकी स्वअर्जित सम्पति थी। वादग्रस्त भूमि मोतीसिंह जी की स्वअर्जित सम्पति थी और उन्हे उसे वसीयत करने का पूरा–पूरा हक अधिकार था और उन्होने वह वसीयत अपनी पत्नि और एकमात्र जाइन्दा पुत्री की उपस्थिति में उनकी साखे डलवाकर पंजीकृत वसीयत अपीलार्थी के पक्ष में की थी। जिस वसीयत बाबत् तत्कालीन पटवारी तत्कालीन तहसीलदार देसुरी एवं तत्कालीन आर.आई. को भी कोई शक शुबा नही था और उस वसीयत बाबत् मोतीसिंह जी की पत्नि मोहनकंवर और मोतीसिंह जी की एकमात्र जाइन्दा संतान पुत्री भंवरकंवर को भी कोई शक शुबा एतराज नही था और उसी आधार पर और वसीयत के आधार पर वादग्रस्त म्युटेशन के आधार पर रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 के पक्ष में वसीयत के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली द्वारा आदेश दिनांक 25.02.2019 पारित किया गया है।

14. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में रघुराजसिंह कभी भी मोतीसिंह जी का गोदपुत्र नही रहा न हुआ और मोतीसिंह जी ने अथवा उनकी पत्नि मोहनकंवर ने कभी भी रघुराजसिंह को गोद नही लिया और रघुराजसिंह के जन्मदाता माता–पिता ने कभी भी रघुराजसिंह को मोतीसिंह जी के गोद

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

नही दिया। इन परिस्थितियों में रघुराजसिंह न तो मोतीसिंह जी का गोदीपुत्र है और न ही कभी गोदपुत्र रहा है।

15. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि गांव ऐलानी हाल तहसील रानी के खाता संख्या 79, 80, 78 व 95 में दर्ज कृषि भूमि के खातेदार स्व. मोतीसिंह पुत्र तेजसिंह थे। वादग्रस्त कृषि भूमि स्वयं स्व. मोती सिंह को सेटलमेन्ट के समय कब्जा काश्त के आधार पर बतौर प्रथम खातेदार प्राप्त हुई थी एवं उसी अनुरूप उनका नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर प्रथम खातेदार दर्ज किया गया था। लिहाजा स्व. मोती सिंह की उक्त कृषि भूमि के हर दृष्टि से स्वअर्जित भूमि की तारीफ में आने से, स्व. मोती सिंह को उसकी वसीयत किये जाने का पूर्ण रूप से कानूनन अधिकार था। इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली के निर्णय दिनांक 25.02.2019 में विस्तृत विवेचन किया गया है कि जहां तक वसीयत का प्रश्न है, तो उक्त वसीयत माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत होने के कारण, उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना न्यायोचित नहीं है, किन्तु जहां तक वसीयत के प्रभावी होने का प्रश्न है, तो यह सुस्थापित है कि वसीयत, वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात प्रभावी होते हैं तथा वसीयतकर्ता की मृत्यु होने पर वसीयत की गई सम्पति वसीयतग्रहिता को समाहित हो जाती हैं।

16. रेस्पोडेण्ट् संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली द्वारा निर्णय दिनांक 25.02.2019 द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जा चुका है। माननीय उच्चतम एवं अन्य न्यायालय द्वारा विलम्ब माफी के क्रम में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विलम्ब माफी के आवेदन को तय किये जाते समय कठोर तकनीकी दृष्टिकोण के बजाय, न्याय उन्मुख/उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए तथा तकनीकी आधार पर किसी पक्षकार को उसके हक से वंचित नहीं कराया जाना चाहिए। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अपील संख्या 4628/2023 उनवान रहीम शाह बनाम गोविंद सिंह निर्णय दिनांक 24–07–2023, कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग एवं अन्य बनाम श्रीमती कातिजी एवं अन्य सिविल अपील संख्या 460/1987 निर्णय दिनांक 19–02–1987 एवं राजस्व मण्डल के रिविजन संख्या 460/1987 उनवान राम गोपाल बनाम सोहन देवी निर्णय 04–12–2003 के निर्णयो की प्रति प्रस्तुत की गई। अतः अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली के निर्णय दिनांक 25.02.2019 के विधि के अनुरुप होने से अपीलाण्ट की अपील को खारिज फरमाने का आदेश प्रदान करावे।

17. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 व 3 के राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2019 विधि के अनुसार पारित किया गया है, जो यथावत रखे जाने योग्य है। अतः

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.02.2019 को यथावत रखते हुये अपीलाण्ट की अपील को खारिज करने का आदेश प्रदान करावे।

18. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 श्रीमती संतोषकंवर द्वारा अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली के न्यायालय में ग्राम एलानी के नामान्तरकरण संख्या 62 दिनांक 08.01.2002 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील का निर्णय दिनांक 25.02.2019 को पारित कर ग्राम ऐलानी के नामान्तरकरण संख्या 62 पर तहसीलदार देसूरी पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 08.01.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है कि पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वसीयतनामा के आधार पर जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

19. पत्रावली में अपीलाण्ट का मुख्य कथन प्रस्तुत गया है कि गांव ऐलानी हाल तहसील रानी के खाता संख्या 79, 80, 78 व 95 में दर्ज कृषि भूमि के खातेदार स्व. मोतीसिंह पुत्र तेजसिंह थे, उक्त भूमि उनकी पैतृक पुश्तैनी भूमि थी। पैतृक पुश्तैनी भूमि होने से मोहनकंवर द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध गोदनामा के आधार पर उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट के नाम दर्ज कर दी गई।

20. पत्रावली में रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 द्वारा मुख्य कथन प्रस्तुत किया गया है कि विवादित आराजी को मोतीसिंह की स्व–अर्जित सम्पति होना बताते हुए स्वयं के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दायर किया गया है। अपील विवादित आराजी मोतीसिंह की पुश्तैनी भूमि न होकर स्व–अर्जित थी।

21. अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.02.2019 पारित करने से पूर्व यह विवेचन किया गया है कि जहां तक वसीयत का प्रश्न है, तो उक्त वसीयत माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत होने के कारण, उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना न्यायोचित नहीं है, किन्तु जहां तक वसीयत के प्रभावी होने का प्रश्न है, तो यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि वसीयत, वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात प्रभावी होते हैं तथा वसीयतकर्ता की मृत्यु होने पर वसीयत की गई सम्पति वसीयतग्रहिता को समाहित हो जाती हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत के आधार पर जो नामान्तरकरण दायर किया गया वह विधिक दृष्टिकोण से त्रुटीपूर्ण नहीं था। चूंकि वसीयत में मोतीसिंह के वारिशान द्वारा साखे डाली गई है, जो उनकी स्वीकारोक्ति को प्रदर्शित करती है। यह तथ्य विधिक रूप से प्रकरण को किस हद तक प्रभावित करता है, यह जांच का विषय है। इस कारण जैर अपील नामान्तरकरण पर तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित स्वीकृति आदेश को अपास्त किया जाकर प्रकरण को पुनः

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जांच कर विधि सम्मत निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली द्वारा उक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार कर ग्राम ऐलानी के नामान्तरकरण संख्या 62 पर तहसीलदार देसूरी पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 08.01.2002 को अपास्त किया जाकर प्रकरण दिशा निर्देशो के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया तथा पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वसीयतनामा के आधार पर जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के संबध में प्रकरण तहसीलदार, रानी को प्रेषित किया गया। वैसे भी नामान्तरकरण एक फिसकल प्रोसिडिंग है तथा उनसे कोई खातेदारी अधिकार तय नहीं होते है।

22. इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील में उठाये गये तथ्यों का अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.02.2019 में विस्तृत विवेचन किया गया है, जिसकी पुष्टि न्यायालय हाजा द्वारा की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली के आदेश दिनांक 25.02.2019 में हम कोई त्रुटि होना नही पाते है तथा उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा प्रावधित प्रावधानो के अनुसार आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली का आदेश दिनांक 25.02.2019 विधि के अनुरूप होने से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हम कोई त्रुटि होना नही पाते हैं।

23. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली के राजस्व अपील संख्या 37/2017 अनवान संतोषकंवर बनाम रघुराज सिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 25.02.2019 को यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जाये। यह निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जोधपुर